न्यायालयः-(आरती ठाकुर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,कोण्डागांव जिला- कोण्डागांव (छ०ग०)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-138/2020
अपराध क्रमांक-02/2020
आरक्षी केन्द्र- उरन्दाबेड़ा
CNR No. CGKG020001602020

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र उरन्दाबेड़ा ,
जिला-कोण्डागांव (छ०ग०) .... अभियोजन

-::विरूद्ध::-

अन्नूराम उर्फ अंतूराम नाग पिता बंगाराम उर्फ चैतू राम
उम्र 30 वर्ष, साकिन-मोदबेड़मा स्कूलपारा
थाना-उरन्दाबेड़ा,जिला- कोण्डागांव(छ०ग०)
..............................अभियुक्त

उपार्पण आदेश
(आज दिनांक-28 नवम्बर, 2020 को पारित किया गया)

(01) आरक्षी केन्द्र उरन्दाबेड़ा द्वारा अभियुक्त अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग के विरूद्ध धारा-376,294,506 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के तहत अभियोग पत्र दिनांक 12/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(02) इस आदेश के द्वारा धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता,1973 के अंतर्गत उपार्पण आदेश पारित किया जा रहा है।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 17/03/2020 को सरिता नाग अपने डेढ़ सास बजन्तीन एवं नंनद आहुति के साथ कोकोड़ा जुगानार बाजार गई थी। शाम को सरिता नाग की तबियत ठीक नही होने से आरोपी अन्नूराम नाग के मोटरसायकल में बैठकर आ रही थी, तभी आरोपी अन्नूराम नाग खेत के पास गाड़ी रोककर पिड़िता सरिता नाग के

निरंतर.................

हाथ बाह को पकड़ने लगा मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार किया। पिड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गवाहों का कथन लेखबद्ध कर आरोपी को गवाहों के समक्ष विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग के विरूद्ध थाना उरन्दाबेड़ा के अपराध क्रमांक-02/2020 अंतर्गत धारा-376, 294, 506 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष दिनांक-12/05/2020 को पेश किया गया।

(04) आरोपी अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग एवं अभियोजन को दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा- 207 के उपबंध के तहत चालान की प्रति दी गई।

(05) आरोपी अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा - 376,294, 506 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 173 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग द्वारा प्रथम दृष्टया धारा- 376, 294, 506 भा.द.सं.,1860 का अपराध किया जाना प्रकट होता है। धारा 376 भा.द.सं.,1860 के अपराध के विचारण की अनन्य अधिकारिता माननीय सत्र न्यायालय को है। अतः उक्त प्रकरण विधिवत् विचाारण हेतु धारा 209 द.प्र.स. के तहत माननीय सत्र न्यायालय कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव छ.ग. की ओर उपार्पित किया जाता है।

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव छ.ग. एवं भारसाधक अधिकारी थाना उरन्दाबेड़ा जिला कोण्डागांव छ.ग.को दी जावें।

(07) प्रकरण में जप्त संपत्ति पेश नही।

(08) अरोपी अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग अग्रिम जमानत पर है। अतः अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग के अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी दिनांक-11/12/2020 को आरोपी अन्नूराम उर्फ अंतुराम नाग को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय

निरंतर.................

कोण्डागांव के न्यायालय में सुबह 11:00 बजें उपस्थित रखें।

(09) अभिलेख विधिवत् तैयार किया जाकर माननीय सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव की ओर प्रेषित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित

(आरती ठाकुर),
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

(आरती ठाकुर),
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

- **कोण्डागांव, 28 नवबर 2020**

==

निरंतर.................